

मुख्य पोस्ट मास्टर जनरल डाक
परिमंडल, के पत्र क्रमांक 22/153,
दिनांक 10-1-06 द्वारा पूर्व भुगतान
योजनान्तर्गत डाक व्यय की पूर्व अदायगी
डाक द्वारा भेजे जाने के लिए अनुमत.



पंजी. क्रमांक भोपाल डिवीजन
म. प्र.-108-भोपाल-09-11.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 451]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 सितम्बर 2010—भाद्र 18, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्र. (13)-बी-7-(बी)-04-2010-2-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पंजीयन तथा मुद्रांक तृतीय श्रेणी (अलिपिकवर्गीय) सेवा भर्ती नियम, 2007 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त नियमों में अनुसूची तीन में, कालम (5) में, पद उप-पंजीयक के सामने, शैक्षणिक अर्हता क्रमांक 2 का लोप किया जाए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 सितम्बर 2010

क्र. (13)-बी-7-(बी)-04-2010-2-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. (13)-बी-7-(बी)-04-2010-2-पांच, दिनांक 9 सितम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 9th September 2010

No. 13-F-B-7-(B)-04-2010-2-V.—In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby, makes the following amendment to the Madhya Pradesh Registration and Stamp Class III (Non-ministrial) Service Recruitment Rules, 2007, namely:—

AMENDMENT

In the said rules, in Schedule-III, in column (5), against the post of sub-Registrar, Educational Qualification No. shall be omitted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl. Secy.